न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2968–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2004 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक खरगौन प्रकरण कमांक 2/बी–103/2003–04.

मेसर्स बी0सी0सी0 फायनेन्स लिमिटेड
द्वारा – श्री बी0एस0 चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि
पता :– बी0सी0सी0 हाऊस 8/5 मनोरमागंज
नवरतनबाग, मेन रोड, इन्दौर

– – – –आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प खरगौन
जिला खरगौन म0प्र0

– – – –अनावेदक

– – – – –

श्री सतपाल सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 08 जनवरी 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अन्तर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक खरगौन के प्रकरण कमांक 2/बी–103/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को मध्यप्रदेश स्टाम्प माईनिंग कारपोरेशन भोपाल द्वारा निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महेश्वर ग्रुप स्थित रेत खदानों का ठेका दिया गया एवं रेत विक्रय हेतु अनुबंध लेख निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार रेत ठेके की अवधि दिनांक 1–2–04 से 31–1–05 थी जिसमें आवेदक को 2,95,000/– धनमीटर रेत की मात्रा उठानी थी। जिसको निगम द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य 90 रूपये प्रति घनमीटर के हिसाब से कुल रूपये 2,65,50,000/– का भुगतान करना था। उक्त अनुबंध पत्र का निष्पादन 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवेदक तथा खनिज निगम के बीच किया था। कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला खरगौन द्वारा दिनांक 30–11–04 को उक्त दस्तावेज में विक्रय हेतु अनुबंध होने से पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(घ) के अन्तर्गत अनुबंध दस्तावेज को पट्टे की श्रेणी में माना और उस पर रायल्टी शुल्क की राशि रूपये 2,65,50,000/– पर 4 प्रतिशत की दर से 10,62,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क निर्धारित कर जमा करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि प्रार्थी को मध्यप्रदेश स्टाम्प माईनिंग कारपोरेशन भोपाल द्वारा निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महेश्वर ग्रुप स्थित रेत खदानों का ठेका दिया गया एवं रेत विक्रय हेतु अनुबंध लेख निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार रेत ठेके की अवधि दिनांक 1–2–04 से 31–1–05 थी जिसें प्रार्थी को 2,95,000/– घनमीटर रेत की मात्रा उठानी थी। जिसको निगम द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य 90 रूपये प्रति घनमीटर के हिसाब से कुल रूपये 2,65,50,000/– का भुगतान करना था। उक्त अनुबंध पत्र का निष्पादन 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवेदक तथा खनिज निगम के बीच किया था। कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला खरगौन द्वारा दिनांक 30–11–04 को उक्त दस्तावेज में विक्रय हेतु अनुबंध होने से पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(घ) के अन्तर्गत अनुबंध दस्तावेज को पट्टे की श्रेणी में

माना और उस पर रायल्टी शुल्क की राशि रूपये 2,65,50,000/– पर 4 प्रतिशत की दर से 10,62,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क निर्धारित कर जमा करने के आदेश दिये।

4/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा रेत विक्रय हेतु निष्पादन को पट्टा मानने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा किये गये उक्त आदेश दिनांक 30–11–04 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पहले आयुक्त इन्दौर संभाग के समक्ष त्रुटिपूर्वक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47(क) की उप धारा 4 के तहत अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि आयुक्त ने निरस्त कर दी। अपील में पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा पुनः विधिक त्रुटि करते हुये राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ने दिनांक 31–12–10 को प्रकरण अपील में सुनवाई योग्य नहीं मानते हुये निरस्त कर दी। अब पुनः इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी आवेदन प्रस्तुत की गई है, जो सुनवाई योग्य है।

5/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने के कारण याचिका आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन के समर्थन में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 31–12–10 को उक्त अपील सुनवाई योग्य नहीं पाते हुये निरस्त कर दी थी। इसके बाद प्रार्थी द्वारा एक अन्य अधिवक्ता से विधिक सलाह हेतु समस्त दस्तावेजों सहित फाईल दे दी थी, जो कि अधिवक्ता से कहीं गुम हो गयी थी ओर बाद में खोजने पर नहीं मिली। तब प्रार्थी ने जैसे तैसे संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये एवं अपने विधिक सलाहकार से सलाह लेकर यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 29–7–13 को प्रस्तुत की। प्रकरण की फाईल किस अधिवक्ता द्वारा गुमाई गई थी यह पूछने पर प्रार्थी अभिभाषक ने बताया कि अधिवक्ता का नाम भूपेन्द्र नायक था, उनसे फाईल गुम हो गयी। वे बीमार हो गये और उसके बाद उनकी मृत्यु फरवरी 2012 में हो गयी थी। इसलिए निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने में किया गया

विलम्ब सद्भाविक है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण में पारित शुल्क में से प्रार्थी द्वारा दो लाख रूपये जमा भी कर दिये हैं। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के संबंध में अनेक उद्धरण पेश किये जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कलेक्टर लैण्ड एक्युजेशन विरूद्ध काटिजी और अन्य निर्णय दिनांक 19–2–87 मिठाईलाल दलसंगर सिंह एवं अन्य विरूद्ध अन्नाबाई देवराम कीर्ती एवं अन्य आदेश दिनांक 16–9–03 तथा माननीय उच्च न्यायालय गुजरात द्वारा प्रतिपादित मुकेश जी संगभाई पटेल विरूद्ध आयकर अधिकारी आदेश दिनांक 16–8–12 जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में विलम्ब सदभाविक होने तथा प्रकरण मेरीटोरीयस होने पर विलम्ब अवधि को क्षमा कर देना चाहिए।

6/ प्रतिप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के धारा 5 के लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत दिये गये आवेदन का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि प्रकरण में मूल आदेश जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राहत चाही गई है वह मूल आदेश दिनांक 30–11–04 को किया गया था, जिसे 90 दिन के भीतर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु प्रार्थी ने दिनांक 29–7–13 को यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो कि लगभग 9 वर्ष विलम्ब से है। इस बीच प्रार्थी ने गलत प्रावधानों के तहत आयुक्त इन्दौर को अपील पेश की जिसे दिनांक 25–11–06 को आयुक्त इन्दौर ने आधारहीन होने से निरस्त की। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल में पुनः अपील प्रस्तुत की जिसे सुनवाई योग्य नहीं मानते हुये स्टाम्प अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु, यह उल्लेख करते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने अपील सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दो बार दोनों न्यायालयों में गलत फोरम में अपील प्रस्तुत की। जब उन्हें यह जानकारी हो गयी कि प्रकरण में अपील सुनवाई योग्य नहीं है तो अपील को निगरानी के रूप में संशोधन करने का एक आवेदन राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर देना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी द्वारा जानकारी होने पर भी ऐसा नहीं किया। राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 31–12–10 को

आदेश दिया गया था। इसके बाद ही निगरानी के लिए समय–सीमा प्रारंभ हो जाती है एवं 90 दिन के भीतर निगरानी प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी, परन्तु यह भी प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। जो न्यायिक उद्धरण प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विलम्ब जानबूझकर किया गया है सदभाविक नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा भूपेन्द्र नायक अभिभाषक से फाईल गुम होने, बीमार हो जाने एवं उनकी मृत्यु होने के बारे में बताया जा रहा है उसके संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वह फरवरी 2013 में उक्त अभिभाषक की मृत्यु होना बता रहे हैं उसके बाद भी यह निगरानी 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार के विलम्ब को दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। बल्कि जब अतिरिक्त तहसीलदार वसूली ने दिनांक 16–7–2013 को नोटिस जारी किया तब इन्हें निगरानी करने की याद आई और इन्होंने दिनांक 29–7–13 को निगरानी प्रस्तुत की। यदि प्रार्थी को बकाया वसूली हेतु तहसीलदार से नोटिस प्राप्त नहीं होता तो यह निगरानी भी नहीं होती। इसलिए प्रार्थी द्वारा किया गया विलम्ब सदभाविक नहीं है, अतः धारा 5 का आवेदन स्वीकार न करते हुये निगरानी निरस्त की जाये।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने कलेक्टर आफ स्टाम्प के मूल आदेश के विरूद्ध दो बार दो विभिन्न न्यायालयों में गलत प्रावधानों के तहत अपील प्रस्तुत की तथा अपील गलत प्रावधान के तहत प्रस्तुत की जा रही है इसकी जानकारी होने के बावजूद भी सक्षम न्यायालय में निगरानी आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक के किसी अभिभाषक द्वारा फाईल गुम करने तथा उसके बीमार होने तथा उनकी मृत्यु हो जाने का कोई प्रमाण आवेदक द्वारा नहीं दिया गया। यद्यपि आवेदक ने कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आरोपित शुल्क में से 2 लाख रूपये जमा करने की भी जानकारी दी है फिर भी यह निगरानी विलम्ब से क्यों प्रस्तुत की गई इसका कोई समाधानकारक कारण

प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक द्वारा दिया गया यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा वसूली का नोटिस मिलने के बाद आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का स्मरण हुआ एवं उसके बाद ही यह निगरानी प्रस्तुत की। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सदभाविक नहीं माना जा सकता। विलम्ब के कारणों का कोई स्पष्ट प्रमाण भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त विश्लेषण के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन निरस्त किया जाता है एवं इसके परिप्रेक्ष्य में निगरानी भी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर